न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

वादीगण :–

1. सज्जनराज पुत्र श्री हिम्मतराम जाति ढोली निवासी हिम्मतनगर पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. उगमाराम पुत्र मंगला राम जाति रैगर
2. कमला देवी पुत्री नारायण जाति रैगर
3. कौशल्या पुत्री गोदावरी जाति रैगर
4. चम्पा देवी पुत्री रामचन्द्र जाति रैगर
5. नवल किशोर सूर्या पुत्र रामचन्द्र जाति रैगर
6. प्रह्लाद पुत्र गोदावरी जाति रैगर
7. भैरूराम पुत्र गोदावरी जाति रैगर
8. मदनलाल पुत्र नारायण जाति रैगर
9. मैना पुत्री नारायण जाति रैगर
10. मोहिनी देवी पुत्री नारायण जाति रैगर
11. रूपाराम पुत्र नारायण जाति रैगर
12. सुमित्रा पुत्री गोदावरी जाति रैगर निवासी सभी पीह तहसील परबतसर
13. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत् :– घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राघव शर्मा अधिवक्ता वादी,

मुकदमा नम्बर :– 2025/104 निर्णय दिनांक :– 09.06.2025

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम पीह तहसील परबतसर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 329 खसरा नम्बर 1053 रकबा 1.1100 हैक्टर भूमी आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादी का 152/185 हक हिस्सा आया हुआ है जिस पर वादी लगातार काबिज चला आ रहा है तथा काश्त करता आ रहा है। वादी अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि रकबा 0.912 हैक्टर का लगातार निबार्ध रूप से उपयोग–उपभोग करता आ रहा है तथा लगातार काश्त करता आ रहा है जिसमें पुख्ता बाड खन्दक लगी हुई है तथा मौके की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस वाद पत्र के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ट "क" लगा है जिसमें वादी के हिस्से को मार्क एबीसीडी से दर्शित किया गया है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का आया हुआ है। वर्तमान में प्रतिवादीगण की नियत में

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

फितूर आ गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपना हिस्सा अजनबी केता को बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही वादी के हिस्से में जो कृषि भूमि आयी हुई है उसे अंकित करते हुए बैचान की धमकीया लगातार वादी को दे रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही वादी के हिस्से की कृषि भूमि का बैचान करने की धमकी देने पर वादी ने सभी काश्तकारों से मिलकर आपसी सहमति से वर्षो पूर्व किये गये बंटवारे के आधार पर प्रतिवादी तहसीलदार भूमिधारी से बंटवारा करवाने का कहाँ लेकिन प्रतिवादीगण आनाकानी कर रहे है इस कारण वादी को मजबूरन वर्षों पूर्व हो रखे बंटवारे के अनुसार ही वादी का हक हिस्सा घोषित हेतु व बटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवारे की इस्तदुआ चाही है।

दावा वकील वादी द्वारा पेश करने पर दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त होने व बावजूद सूचना के प्रतिवादी संख्या 1 से 12 अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तो पत्रावली साक्ष्य वादी में तलब की गई जिसमें वादी स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर बहस वकील वादी की एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद का समर्थन करते हुए वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज माफिक मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर मंगवाया जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक की विद्ववतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तो वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। वादी का वाद बंटवारे का होने के कारण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/1048 दिनांक 06.06.2025 द्वारा उभय पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। जिसका अवलोकन कर वकील वादी ने सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में घोषित किया जाकर अलग–अलग होल्डिंग कायम किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

अतः वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम पीह तहसील परबतसर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 329 खसरा नम्बर 1053 रकबा 1.1100 हैक्टर भूमी का तहसीलदार परबतसर के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार ढाका)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

डिक्री मुकदमां इब्तदाई (ओ. 20 रूल 6-7 दीवानी)

अदालतः- **उपखण्ड अधिकारी परबतसर, जिला (डीडवाना-कुचामन), राज.**

वादीगण :-

1. सज्जनराज पुत्र श्री हिम्मतराम जाति ढोली निवासी हिम्मतनगर पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1 उगमाराम पुत्र मंगला राम जाति रैगर
2. कमला देवी पुत्री नारायण जाति रैगर
3. कौशल्या पुत्री गोदावरी जाति रैगर
4. चम्पा देवी पुत्री रामचन्द्र जाति रैगर
5. नवल किशोर सूर्या पुत्र रामचन्द्र जाति रैगर
6. प्रहलाद पुत्र गोदावरी जाति रैगर
7. भैरूराम पुत्र गोदावरी जाति रैगर
8. मदनलाल पुत्र नारायण जाति रैगर
9. मैना पुत्री नारायण जाति रैगर
10. मोहिनी देवी पुत्री नारायण जाति रैगर
11. रूपाराम पुत्र नारायण जाति रैगर
12. सुमित्रा पुत्री गोदावरी जाति रैगर निवासी सभी पीह तहसील परबतसर
13. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत् :- घोषणा, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री राघव शर्मा अधिवक्ता वादी,

मुकदमा नम्बर :- 2025/104 निर्णय दिनांक :- 09.06.2025

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू....... बहाजरी श्री अधिवक्ता वादी श्री राघव शर्मा मिनजानिब मुदई रूबरू............. मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि :-

कि ग्राम पीह तहसील परबतसर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 329 खसरा नम्बर 1053 रकबा 1.1100 हैक्टर भूमी का तहसीलदार परबतसर के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का पार्ट रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.06.2025 को जारी की गई।

मुहर (मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी)

दस्तखत (मुहर: उपखण्ड अधिकारी परबतसर)

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक			स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक		
मीलान			मीजान		

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी परबतसर)